


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुभाष विश्‍नोई बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) सू.अ.अपील संख्या 61/2024</p>	<p>न व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>07-06-24</p>	<p>अपीलार्थी सुभाष विश्‍नोई निवासी लूणी, तहसील लूणी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार कं तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13/03/2024 में तहसीलदार (तत्कालीन) का माह दिसम्बर 2017 के राजकीय कार्यों के मासिक सारांश की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर वह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (तहसीलदार बिलाडा) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाडा) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिने जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (पीएच अमानुज) जिला कलेक्टर जोधपुर (तह.) बिला कलेक्टर जोधपुर प्रीमीज </p>	